अपील सूचना अधिकार संख्या 41/2017 अनवानी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री धर्मपाल शाक्य निवासी दुकान न0 219 के पीछे, नई धानमण्डी परिसर, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी, श्रीगंगानगर

24.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विनोद कुमार उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विनोद कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2017 के द्वारा जिला खाद्य व वितरण अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1– उचित मूल्य की दुकान (डिपो) विजयकुमार देसराज वार्ड न0 नया 30 पुराना 28 के अन्तर्गत कितने व्यक्तियो को अंगूठा मशीन (पुश मशीन/फिंगर प्रिन्ट) में गेहूं व केरोसीन दिया।
2– कितने व्यक्ति आपके वार्ड में लाभांवित हुए उनका व्यौरा मय पता।
3– आपके उक्त वार्ड के डिपो में विनोद कर्मचारी कार्यरत है। उनके वेतन का व्यौरा मय उपस्थिति की प्रमाणित प्रतिलिपि व रिकार्ड का निरीक्षण।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या 3077 दिनांक 18.05.2017 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को पत्र सं0 2840 दिनांक 02.05.17 के द्वारा सूचित किया गया है कि बिन्दु सं0 1 व 2 में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है तथा आप द्वारा जिस प्रारूप में सूचना चाही है ऐसे किसी प्रारूप में सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है। इसलिए आपका प्रार्थना पत्र आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत खारिज किया जाता है एवं बिन्दु सं0 3 का संबंध उनके कार्यालय से नही है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 2840 दिनांक 02.05.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से सूचित किया गया हैः–

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है तथा आप द्वारा जिस प्रारूप में चाही गई है ऐसी किसी प्रारूप में उक्त सूचना कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः आपके प्रार्थना पत्र आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत खारिज की जाती है। बिन्दु संख्या 3 का संबंध इस कार्यालय से नही है।

इस संबंध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि बिन्दु सं0 3 की सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से संबंधित नही है तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना प्रश्नात्मक रूप में है एवं जिस प्रारूप में सूचना चाही गई है उस प्रारूप में सूचना उपलब्ध नही होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र धारा 2(च) व 7(9) के तहत सही रूप से खारिज किया गया है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर दिनांक 02.05.2017 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर